राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

दिनेश बनाम मांगीलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1561/2025, 1688/2025	
17/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	रेस्पो. संख्या 12 की और से अधिवक्ता श्री नेमीचन्द जलवानिया ने वकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया	अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 1561/2025 एवं 1688/2025 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है	अधिवक्ता उभयपक्ष की इकजाई मौखिक दोनों पत्रावलीयो पर सुनी गयी	पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/02/2026 को पेश हो		
19/02/2026	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/2025 पारित करते हुये तहसीलदार माधोराजपुरा को विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या नया 221 के आराजी खसरा नम्बर 1060 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1062 रकबा 0.3035 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.3288 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.1644 हैक्टेयर व खाता संख्या 241 के आराजी खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.4552 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1061 रकबा 0.2908 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1063 रकबा 0.2908 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1068 रकबा 0. 2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1077 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1079 रकबा 0.3414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.7840 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1154 रकबा 0.2782 हैक्टेयर व खाता संख्या 242 के आराजी खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.9484 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1065 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1069 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1162 रकबा 0.4552 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम रेनवाल, पटवार हल्का रेनवाल, भू.अ.नि.क्षेत्र रेनवाल, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात का मौका मुआयना कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का उपयुक्त अवसर देकर उनकी उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अथवा मौका कब्जा सहमति के आधार पर राजस्थान काश्त. नियम (राजस्व मण्डल)	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**दिनेश बनाम मांगीलाल** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/2025 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष पृथक-पृथक दो अपीले क्रमश: 1561/2025 उनवानी दिनेश बनाम मांगीलाल एवं अपील संख्या 1688/2025 उनवानी रामनिवास बनाम मांगीलाल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की ईकजाई मौखिक बहस दोनों अपीलों पर सुनी गयी चूँकि दोनों अपीले एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों द्वारा इकजाई रूप से बहस की गयी है | अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थीगण के कथनों की ताईद हो जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान की तामील ही पूर्ण नही हुई थी | इस तथ्य की पुष्टी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 31/07/2025 से स्वत: हो जाती है एवं चूँकि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण नही होना स्पष्ट है तो प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की तामील करवाये बिना तथा उनका पक्ष सुने बिना ही अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना स्पष्ट होता जाता है जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में समस्त पक्षकारान की समुचित तामील करवा कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिए आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर अपीलाधीन निर्णय व् डिक्रीये पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31/07/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये पुन: विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व् डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपीले क्रमश: 1561/2025 एवं 1688/2025 स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 19/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |